



2026:AHC: 177767

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 898 वर्ष 2025

श्रीमती सुमन देवी

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता

: अरुण कुमार सैनी, शिव शरण शर्मा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, विजय कांत द्विवेदी

न्यायालय संख्या- 87

माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत

- वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कन्नौज द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 06.12.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत पुनरीक्षणवादी का आवेदन खारिज कर दिया गया है।
- पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 06.12.2024 स्पष्ट रूप से अवैध, मनमाना और न्यायिक विवेक के प्रयोग के बिना तथा द.प्र.सं. की धारा 125 के विपरीत है। विचारण न्यायालय ने विपक्षी संख्या 2 के साथ पुनरीक्षणवादी के विवाह और पुनरीक्षणवादी द्वारा मांगे गए अनुतोष के संबंध में विवादक संख्या 1 और 2 को केवल विपक्षी संख्या 2 के कथनों पर अवैध रूप से यह अभिनिर्धारित करते हुए पुनरीक्षणवादी के विरुद्ध तय किया कि वह उसकी पत्नी नहीं है, ठोस साक्ष्य अर्थात् पुनरीक्षणवादी और उसके पिता के बयानों की अनदेखी करते हुए, जिनकी पुष्टि विवाह की तस्वीरों से होती है, जिनसे विपक्षी संख्या 2 ने इनकार नहीं किया है। स्वीकार्य रूप से अपने मायके में रहने वाली एक तलाकशुदा होने के नाते, विपक्षी संख्या 2 ने स्वयं प्रस्ताव रखा और विवाह संपन्न करने के लिए बारात

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लेकर आया, जो विधि में अनुमन्य है। अतः यह आदेश निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफलता है और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपास्त किए जाने योग्य है।

3. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया है और तर्क दिया है कि विपक्षी संख्या 2 का पुनरीक्षणवादी के साथ विवाह नहीं हुआ है। पुनरीक्षणवादी का विवाह संजय, पुत्र विजय, निवासी बिलग्राम पीपल चौराहा मोहम्मद सुलहड़ा, थाना-बिलग्राम, जिला-हरदोई के साथ हुआ है। पुनरीक्षणवादी और उसके पति के बीच कुछ विवाद हुआ और उसके द्वारा अपने पति संजय के विरुद्ध द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण का मामला संस्थित किया गया, जिसमें उसे भरण-पोषण प्राप्त हुआ। पुनरीक्षणवादी विपक्षी संख्या 2 की ममेरी बहन है। पैतृक संपत्ति के संबंध में कुछ विवाद के कारण किसी दुर्भावनापूर्ण आशय से विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध भरण-पोषण का यह वाद शुरू किया गया था। विपक्षी संख्या 2 ने कभी भी पुनरीक्षणवादी के साथ विवाह नहीं किया है और न ही वह पुनरीक्षणवादी के साथ पति-पत्नी के रूप में रहा है।

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

5. अभिलेख के परिशीलन से पता चलता है कि पुनरीक्षणवादी ने द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत एक आवेदन दिया है जिसमें यह कहा गया है कि उसका विवाह 4.5 वर्ष पूर्व हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विपक्षी संख्या 2 के साथ हुआ था और उसके माता-पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार दहेज दिया था। विपक्षी संख्या 2 और उसके ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अतिरिक्त दहेज अर्थात् मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपये की मांग शुरू कर दिया। विपक्षी संख्या 2 ने शराब पीना, उसे गालियां देना और पीटना शुरू कर दिया। उसके पड़ोसी की लड़की के साथ अवैध संबंध थे और उसने दूसरी शादी करने और उसे जान से मारने की धमकी दिया।

6. इस आवेदन के विरुद्ध, विपक्षी संख्या 2 ने इन कथनों के साथ अपनी आपत्ति दाखिल की कि उसका पुनरीक्षणवादी के साथ कभी विवाह नहीं हुआ, वास्तव में पुनरीक्षणवादी उसकी ममेरी बहन है और उसका विवाह संजय, पुत्र विजय, निवासी बिलग्राम पीपल चौराहा मोहम्मद सुलहड़ा, थाना-बिलग्राम, जिला-हरदोई के साथ हुआ है। पुनरीक्षणवादी और उसके पति के बीच कुछ विवाद हुआ और उसके द्वारा अपने पति संजय के विरुद्ध द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण का

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रकरण संस्थित किया गया था, जिसमें उसे भरण-पोषण प्राप्त हुआ और मामला सुलझ गया। उसकी माता, मौसी और पुनरीक्षणवादी के पिता के बीच उत्पन्न हुए संपत्ति विवाद के कारण उसने उसे वर्तमान प्रकरण में घसीटा है। पुनरीक्षणवादी एक ब्यूटी पार्लर चला रही है और अपना भरण-पोषण करने में पूरी तरह सक्षम है।

7. स्वयं पुनरीक्षणवादी और उसके पिता नरेश राम को पी.डब्ल्यू.1 और पी.डब्ल्यू.2 के रूप में प्रस्तुत और परीक्षित किया गया, जबकि, विपक्षी संख्या 2 ने स्वयं को नेकराम और मीरा देवी के साथ साक्षियों के रूप में प्रस्तुत किया जिनके बयान विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए थे। दस्तावेजी साक्ष्य में, पुनरीक्षणवादी ने कथित विवाह की तस्वीरें प्रस्तुत किया हैं और प्रतिवादी/विपक्षी संख्या 2 ने द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत वाद संख्या 353/12/2014 सुमन देवी बनाम संजय कुमार की एक सत्य प्रति, भा.द.सं. की धारा 498ए, 323, 504, 506 और डी.पी. एक्ट की धारा 3/4 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 25 वर्ष 2014 में आरोप पत्र की प्रति, चिकित्सा रिपोर्ट की प्रति, पुनरीक्षणवादी और संजय के विवाह की तस्वीरें आदि प्रस्तुत किया हैं।

8. इस पुनरीक्षण में शामिल बिंदु हैं: 1) क्या पुनरीक्षणवादी का विवाह विपक्षी संख्या 2 के साथ हुआ है और वह विधिक रूप से विवाहित पत्नी है; 2) क्या पुनरीक्षणवादी द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत विपक्षी संख्या 2 से भरण-पोषण की हकदार है।

9. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के समक्ष दाखिल अपने शपथ पत्र दिनांक 30.08.2024 में विपक्षी संख्या 2 ने कहा है कि उसका पुनरीक्षणवादी के साथ विवाह नहीं हुआ है, पुनरीक्षणवादी का विवाह पहले ही संजय के साथ हो चुका है। कुछ विवाद के कारण पुनरीक्षणवादी ने अपने पति संजय के विरुद्ध द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत एक वाद दाखिल किया था। संजय के विरुद्ध दाखिल वाद की प्रमाणित प्रतियां विपक्षी संख्या 2 द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं।

10. द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत आवेदन की प्रति और शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत साक्ष्यों के परिशीलन से, पुनरीक्षणवादी या उसके साक्षियों द्वारा संजय के साथ उसके विवाह के संबंध में कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा शपथ पत्र दाखिल करने के पश्चात भी, पुनरीक्षणवादी के संजय के साथ विवाह के तथ्य से इनकार नहीं किया गया है और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



न ही अलगाव या तलाक के बारे में कोई तथ्य कहा गया है। पुनरीक्षणवादी ने इससे इनकार नहीं किया कि वह विपक्षी संख्या 2 की ममेरी बहन है।

11. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षणवादी का विवाह पहले ही संजय, पुत्र विजय, निवासी बिलग्राम पीपल चौराहा मोहम्मद सुलहड़ा, थाना-बिलग्राम, जिला-हरदोई के साथ हो चुका है। इस पुनरीक्षण याचिका में प्रस्तुत तस्वीर दर्शाती है कि पुनरीक्षणवादी और विपक्षी संख्या 2 के बीच विवाह का कोई समारोह संपन्न हुआ था, लेकिन पुनरीक्षणवादी ने अपने पूर्व विवाह के संबंध में तलाक के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। यह भी उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षणवादी विपक्षी संख्या 2 के मामा की पुत्री है जो निषिद्ध संबंधों के दायरे में आता है और कोई विधिक विवाह संपन्न नहीं हो सकता है।

12. **श्रीमती यमुनाबाई अनंतराव आधव ए बनाम अनंतराव शिवराम आधव और एक अन्य: 1988 1 एससीसी 530** के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत 'पत्नी' शब्द का अर्थ केवल विधिक रूप से विवाहित पत्नी है। एक विवाह जो वैधानिक एकविवाह शर्तों का उल्लंघन करता है वह शून्य है, और ऐसे संबंध में महिला द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती है।

13. **सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य: 2005 3 एससीसी 636** के एक अन्य वाद में, यमुनाबाई उपरोक्त की पुष्टि करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसी स्थितियों में महिलाओं को संरक्षण प्रदान करना कितना भी वांछनीय क्यों न हो, 'पत्नी' अभिव्यक्ति को ऐसी महिला को शामिल करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है जिसका विवाह पूर्व विवाह के अस्तित्व के कारण शून्य है। माननीय न्यायालय ने जोर दिया कि वैधानिक शब्द की व्याख्या विधायी आशय के अनुसार सख्ती से की जानी चाहिए।

14. प्रस्तुत वाद में, चूंकि पुनरीक्षणवादी पहले से ही संजय के साथ विवाहित है और विपक्षी संख्या 2 के साथ उसका विधिक विवाह सिद्ध नहीं होता है, वह द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत विपक्षी संख्या 2 से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती है। भले ही वह विपक्षी संख्या 2 के साथ पति और पत्नी के रूप में रहती थी, वह विधिक रूप से विवाहित पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों तथा ऊपर चर्चा की गई विधि के दृष्टिगत, यह न्यायालय विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में क्षेत्राधिकार, अनौचित्य या अवैधता की कोई त्रुटि नहीं पाता है। आक्षेपित आदेश को विकृत या अनुचित नहीं कहा जा सकता है, जो इस न्यायालय के सीमित पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप की मांग करता हो।

16. ऊपर बताए गए कारणों से, इस न्यायालय की यह राय है कि आपराधिक पुनरीक्षण गुण-दोष रहित है और खारिज किए जाने योग्य है।

17. तदनुसार, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण एतद्वारा **खारिज** किया जाता है।

18. यहां की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान पुनरीक्षण को निर्णीत करने के प्रयोजन के लिए सीमित हैं और विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में इसका अर्थ नहीं लगाया जाएगा।

(न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत)

21 अगस्त, 2026

ए.डी.वाई.